पटना में दिनांक—07 मई, 2013 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:—

कृषि विभाग

1.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन कृषि यंत्र के प्रयोग से धान की बुआई/रोपनी के प्रोत्साहन की योजना का वर्ष 2013—14 में 3.50 करोड़ रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन उक्त कार्यक्रम के लिए व्यय करने की स्वीकृति।	1.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

2.	एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट इन्वेस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत परियोजना सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के गठन हेतु प्रोजेक्ट डायरेक्टर का 1, फाइनान्स मैनेजर का 1, इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेसलिस्ट का 1, एग्री बिजनेस स्पेसलिस्ट का 1, एकाउन्टेंट का 1, कम्प्यूटर ऑपरेटर —सह—सहायक का 4, अनुसेवक—सह—चौकीदार का 4, कुल—13 पदों के सृजन की स्वीकृति।	2.	स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

3.	विदेश निर्मित विदेशी शराब एवं विदेश निर्मित वाईन के आयात एवं बिक्री हेतु नियमावली, 2013 की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

4.	जन—निजी भागीदारी के आधार पर बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा कटारी व मुस्तफाबाद, गया अवस्थित कुल लगभग 125 एकड़ रिक्त भूमि में पुराने ले—आउट प्लान के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से लगभग 12,696 फ्लैटों और वाणिज्यिक संरचनाओं के निर्माण की स्वीकृति।	4.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

5.	जन—निजी भागीदारी के आधार पर बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा लोहियानगर, पटना अवस्थित एल सेक्टर के कुल 1.41 एकड़ जमीन तथा हनुमाननगर, पटना अवस्थित 0.55 एकड़ जमीन पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स (मॉल, ऑफिस, होटल आदि) के निर्माण की स्वीकृति।	5.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

6. जन–निजी भागीदारी के आधार पर बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा दामोदरपुर, मुजफ्फरपुर अवस्थित लगभग 21.75 एकड़ भूमि में पुराने ले–आउट प्लान के स्थान पर लगभग 1496 फ्लैट और वाणिज्यिक संरचनाओं के निर्माण की स्वीकृति। — 6. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

7. जन–निजी भागीदारी के आधार पर बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा लोहियानगर (कंकड़बाग) अवस्थित सेक्टर–S ,T तथा U में बने पुराने रेंटल फ्लैट्स, वीकर, स्लम तथा जनता फ्लैट्स के स्थान पर लगभग 32.35 एकड़ भूमि में लगभग 2488 फ्लैट और व्यवसायिक संरचनाओं के पुनर्निर्माण हेतु सरकार के अनुमोदन के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

8. जन–निजी भागीदारी के आधार पर बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बहादुरपुर अवस्थित सेक्टर–5 (टी०वी० टावर के निकट) में 10.10 एकड़ जमीन पर लगभग 1596 फ्लैट के निर्माण तथा लोहियानगर अवस्थित डी०एस०सेक्टर के कुल 4.20 एकड़ जमीन पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स (मॉल, ऑफिस, होटल आदि) के निर्माण की स्वीकृति। — 8. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. जन–निजी भागीदारी के आधार पर बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बहादुरपुर अवस्थित सेक्टर–3 तथा 6 में पुरानी योजनाओं के स्थान पर लगभग 74.41 (41.78 + 32.63) एकड़ भूमि में लगभग 8454 फ्लैटों और वाणिज्यिक संरचनाओं के पुनर्निर्माण की स्वीकृति। — 9. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

10. श्री अजय कुमार यादव, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप के लिए सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

11. बजटीय घोषणा के अनुरूप मटर, राजमा तथा कुर्थी, असुगंधित अगरबत्ती, चिकित्सा में प्रयोग हेतु ऑक्सीजन एवं नारियल को कर से विमुक्ति दिए जाने के संबंध में। — **11. विभागीय अनुरोध पर संलेख एवं अधिसूचना में जहाँ पर भी अनुसूची 1 प्रविष्टि 70 अंकित है उसके स्थान पर 71 पढ़ा जाए के साथ स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

12. पेट्रोल तथा तम्बाकु उत्पाद (बीड़ी छोड़कर) पर अधिभार अधिरोपित किए जाने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

13. भामासाह सम्मान योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष सम्मानित किये जा रहे व्यवसायियों का पुनर्वर्गीकरण एवं सम्मान–पत्र के साथ नगद पुरस्कार दिए जाने के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

विधि विभाग

14. श्री भृगुनाथ तिवारी, से०नि० अनुवाद पदाधिकारी (से०नि०–30.04.2011) विधि विभाग, बिहार, पटना का अनुवाद पदाधिकारी के पद पर पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प संख्या–2401, दिनांक–18.07.2007 के तहत किए गए संविदा पर नियोजन को सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प संख्या–2804, दिनांक–29.03.2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) के तहत दिनांक–02.05.2012 से 01 वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन के रूप में परिवर्तित करने के साथ उक्त संकल्प के आलोक में दिनांक–02.05.13 से अगले 01 वर्ष के लिए संविदा पर नियोजित करने एवं पारिश्रमिक के निर्धारण के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

विधि विभाग

15. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के लिए उच्च न्यायालय पटना में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति श्री नवीन सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

16. आग्नेयास्त्रों की उपलब्धता के अनुपात में आयुद्धिक संवर्ग के कर्मियों के 92 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

17. राज्य के नगर निकायों द्वारा नगर निकाय क्षेत्रों में अवस्थित धृतियों पर संपत्ति कर के निर्धारण संग्रहण और वसूली के लिए स्वीकृत बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण संग्रहण एवं वसूली) नियमावली, 2013 के नियम 4 के प्रावधान नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावी माने जाने के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

18.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सकों, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक एवं गव्य तकनीकी पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर नियोजन अवधि एक वर्ष के विस्तार हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1029, दिनांक–19.01.2012 एवं संकल्प संख्या–17415, दिनांक–20.12.2012 को शिथिल करने के संबंध में।	18. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

19.	संसदीय कार्य विभाग के लिये संयुक्त सचिव के समकक्ष वेतन बैण्ड 37400–67000+ग्रेड वेतन 8700 में विशेष कार्य पदाधिकारी के एक गैर संवर्गीय पद की दो वर्षों के लिए सृजन की स्वीकृति एवं उक्त पद पर संसदीय कार्य के अनुभवी पदाधिकारी श्री नवनीत रंजन तिवारी, सेवा निवृत्त संयुक्त सचिव को संविदा के आधार पर दो वर्षों के लिये नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।	19. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

20.	मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में केन्द्रांश की कुल राशि 1400.8428/–करोड़ (चौदह सौ करोड़ चौरासी लाख अठाईस हजार) रू० तथा राज्यांश की राशि 400.00/–करोड़ (चार सौ करोड़) रू० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।	20. स्वीकृत।